उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-94/2021/1527/52-1-2021-07(पी0एम0जे0वी0के0)/21
लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2021

संशोधन-आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-83/2021/1409/52-1-2021-07(पी0एम0जे0वी0के0)/21 दिनांक 07.10.2021 के प्रस्तर-1 में अंकित सारिणी के स्तम्भ-3 में त्रुटिवश योजना का निर्माण स्थल नगर पालिका परिषद सण्डीला के स्थान पर ब्लाक सण्डीला में रा0 आई0टी0आई0 का भवन निर्माण अंकित हो गया है।

अत: **"ब्लाक सण्डीला में रा0 आई0टी0आई0 का भवन निर्माण"** के स्थान पर **"नगर पालिका परिषद सण्डीला में रा0 आई0टी0आई0 का भवन निर्माण"** पढ़ा जाय।

2- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-83/2021/1409/52-1-2021-07(पी0एम0जे0वी0के0)/ 21 दिनांक 07.10.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें/निर्देश यथावत रहेंगे।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव ।

संख्या-1527(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया जनपद-हरदोई में स्वीकृत उक्त आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण का मानकानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 रोजगार भवन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- निदेशक, **उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आई0टी0आई0 भवनों का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत आई0टी0आई0 के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

UO Gautam

http://shasanadesh.up.gov.in